


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.08.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2213 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-</p> <p>ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाडा</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>दिनेश कुमार पुत्र नारायणलाल लढा सा0 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा, खातेदार के आराजी नम्बर 1382/1 क्षेत्रफल 0.3319 हैक्टेयर रहेगी।</li> <li>भैरूलाल, सत्यनारायण पुत्र रूपा ब्रह्मण सा0 देह खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :- आराजी नम्बर 1382/2 रकबा 0.1107 हैक्टेयर रहेगी।</li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
 उपर्युक्त डिक्री अधिकांश  
 पदेन सहायक अधिकांश  
 भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या  
413/2024

पीठासीन अधिकारी:—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

दायर दिनांक  
30.07.2024

निर्णय दिनांक  
16.08.2024

उनवान

1. दिनेश पुत्र नारायण लाल लढा निवासी 2 एफ 11 श्रीनाथ गार्डन के सामने आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

— वादी

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र रूपा ब्राह्मण, निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. सत्यनारायण पुत्र रूपा ब्राह्मण, निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उपस्थित नहीं। प्रकरण में — इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाड़ा

1. दिनेश कुमार पुत्र नारायणलाल लढा सा0 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के आराजी नम्बर 1382/1 क्षेत्रफल 0.3319 हैक्टेयर रहेगी।
2. भैरूलाल, सत्यनारायण पुत्र रूपा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी

:-

आराजी नम्बर 1382/2 रकबा 0.1107 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।

*Ahad*  
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा